न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 18/2015

निर्णय दिनांक :- 09.02.2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर		1. राधी पुत्री किशन जोजे रामचन्द्र जाट नि.- पारी हाल मुकाम मुण्डकाडिया, तहसील- भूपालसागर 2. लछमण पिता भगवान जाट नि.- पारी, तहसील- भूपालसागर

राजस्व प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-177 राजस्थान काश्तकारी एक्ट, 1955

* निर्णय *

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनॉक 03.11.14 को पेश किया गया था। प्रार्थना-पत्र मे वर्णित आराजियात का संक्षिप्त मे वर्णन इस प्रकार है :-

1. यह है कि तहसील भूपालसागर के राजस्व ग्राम पारी मे आ०न० 1562 रकबा 0.37 हैक्ट० किस्म बा.3 भूमि राधी पुत्री किशन जोजे रामचन्द्र जाट व लछमण पिता भगवान जाट निवासी-पारी के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण कृषि प्रयोजनार्थ बतौर खातेदार [illegible] है।

2. यह है कि अप्रार्थीगण [illegible] उक्त भू[illegible]र केवल खातेदार[illegible]कार प्राप्त है जिसके अं[illegible] भूमि पर काश्[illegible]ने, कृषि उपज व प्राकृतिक पैदावार प्राप्त करने का अधिकार होता है। परन्तु अप्रार्थीगण ने खातेदारी शर्तों को भंग कर कृषि भूमि

- लगातार -

उपखण्ड अधि. भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.12 15:46:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आ०न० 1562 रकबा 0.37 हैक्ट. मे अवैध रुप से खनन करना प्रारम्भ कर दिया है व कृषि भूमि को नष्ट-भ्रष्ट कर रहा है। अप्रार्थीगण के इस कृत्य से काबिल कृषि भूमि नष्ट होने के कगार पर पहुँच जाएगी।

पटवारी रिपोर्ट एवं मौका पर्चा के अनुसार आ०न० 1562 रकबा 0.37 हैक्ट. कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा अवैध खनन करना पाया गया है और खातेदार द्वारा कृषि भूमि पर गैर कृषि (अकृषि) उपयोग होना बताया है। मौके पर मौजुद मौतबिरानों ने अवैध रुप से कृषि भूमि पर खनन होना बताया, मौके पर उपस्थित मौतबिरानों ने हस्ताक्षर व अंगुठा निशानात भी किये है।

तहसीलदार भूपालसागर द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्र मे उक्त आराजियात आ०न० 1562 रकबा 0.37 हैक्ट. पर अवैध खनन होना बताया गया है, साथ खातेदारों की बेदखली के साथ भूमि को बिलानाम घोषित करने की अनुशंषा की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-177 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु तहसीलदार भूपालसागर ने निवेदन किया है। प्रार्थना-पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न है:-

1. नकल जमाबंदी की प्रमाणीत प्रतिलिपी।
2. पटवार हल्का रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस की प्रमाणीत प्रति।
3. प्रार्थना-पत्र की अतिरिक्त प्रतियां।

उक्त प्रार्थना-पत्र को दिनॉक 03.11.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये। नोटिस तामिल होने के पश्चात शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या-01 की ओर से श्री नरेन्द्र दाधीच ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या-02 ने स्वयं उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया। वकील अप्रार्थी संख्या-01 ने हाजिर होकर [illegible] किया कि अप्रार्थी संख्या-01 की शिकायत पर प्रकरण बन[illegible] अतः वह जवाब प्रस्तुत करना नहीं चाहते है। [illegible] बहस हेतु दिनॉक 01.05.19 को पेश करने हेतु आदेश दिया गया। दिनॉक 01.02.21 को बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनॉक 09.02.21 को पेश करने का

- लगातार -

09/02/21
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Rindel
Date: 2021.02.12 15:46:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आदेश दिया गया।

आदेश

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाता है। भू-धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर के प्रार्थना-पत्र में स्पष्ट अंकित किया गया है कि अभिधारी अपनी खातेदारी जमीन पर ऐसे कार्य, व्यापार अथवा उपयोग को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया है, जो जोत की भूमि के लिए अहितकर है और साथ ही साथ जिस प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन हुआ था, उससे असंगत है। अभिधारी द्वारा धारा 177(5) के अंतर्गत बेदखली होने के दायित्व का प्रतिवाद नहीं किया, जिस कारण न्यायालय एकपक्षीय आदेश करने हेतु पूर्णतया सक्षम है।

खातेदार द्वारा काश्त करने के प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि का उपयोग अवैध खनन एवं व्यापार करने हेतु किया गया है। उक्त कार्य किसी भी प्रकार से अथवा दशा में कृषि (काश्तकारी) के लिए हितकर नहीं है। अवैध खनन व परिवहन का कार्य काफी समय से किया जा रहा है, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनॉक 17.11.2017 को जारी आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त कार्य लम्बी समयावधि से किया जा रहा है जो कृषि जोत हेतु योग्य भूमि के लिए अहितकर है। तहसीलदार भूपालसागर व पटवारी रिपोर्ट व मौका [illegible] आ० नं० 1562 रकबा 0.37 हैक्ट० भूमि पर अवैध खनन [illegible] गया है।

अत: [illegible] खातेदारी आ० नं० 1562 रकबा 0.37 हैक्ट० भूमि को बिलानाम [illegible] घोषित किया जाता है। खातेदारों का नाम : राजस्व अभिलेख से हटाया जाकर पूर्ण जमीन (खातेदारी) को बिलानाम (रकबा राज) घोषित करने का

— लगातार —

A 09/02/21
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.12 15:46:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आदेश जारी किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को भेजकर लेख है कि आदेश की पालना करवाकर पालना रिपोर्ट 20 (बीस) दिवस में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

आदेश (निर्णय) आज दिनांक 09.02.2021 को खुले इजलास में सुनाया गया।

09/02/2021

सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.12 15:46:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रपत्र –5

डिक्री बमुकद्दमे इस्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

(पीठासीन अधिकारी)

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (R.A.S.)

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर बनाम 1. राधी पुत्री किशन जोजे रामचन्द्र जाट नि०-पारी, हाल मुकाम - मुण्डकोटिया (भूपालसागर)
2. लक्ष्मण पिता भगवान जाट नि०-पारी, तहसील - भूपालसागर

दावा बाबत् 177 RT Act.

मुकदमा नम्बर :– 18/2015

निर्णय दिनांक :– 09.02.2021

प्रार्थी वादी की ओर से सरकारी पैरोकार की व अप्रार्थीगण प्रतिवादी की ओर से श्री नरेन्द्र दाधीच की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09.02.2021 को सुखाराम पिण्डेल (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

अप्रार्थीगण की भूमि खा०न० 1562 रकबा 0.37 हैक्ट० को बिलानाम घोषित किया जाता है। खातेदार का नाम राजस्व अभिलेख से हटा उक्त आराजियात को बिलानाम (रकबाराज) घोषित किया जाता है। बसीन्ते मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 09.02.2021 को डिक्री जारी की गयी। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 09.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

09.02.21

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भूपालसागर

अधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.12 15:46:48 IST
Reason: Self Attested

वाद के खर्चा

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		उत्तर पत्र के लिए स्टाम्प	–
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	–	प्लीडर की फीस	–
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस	–	साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–

Scanned with CamScanner

5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–	आदेशिका की तामिल	–
6. कमिश्नर की फीस	–	कमिश्नर की फीस	–
7. आदेशिका की तामिल			
जोड	–	जोड	–

09.02.21

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.12 15:46:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner